Seventeenth Loksabha

an>

Title : Regarding Slum Redevelopment in Mumbai and problem faced by Slum dwellers due to Environment Authority Officials.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय सभापति जी, पूरे देश और विशेषकर मुम्बई शहर में भवन निर्माण के विकास कार्यों के बहुत से प्रकल्प पर्यावरण प्राधिकरण के लोगों द्वारा उत्पन्न परेशानियों की वजह से बंद पड़े है। आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि देश में सिस्टम है, व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नियम बनाया गया है, उस नियम को न मानने का काम पर्यावरण प्राधिकरण के लोग करते हैं।

अगर मैं मुम्बई शहर में स्लम डेवलपमेंट की बात करूं तो 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग झोंपड़-पट्टी में रहते हैं। झोंपड़-पट्टी वालों को विकास के नाम पर भाड़ा देकर बाहर शिफ्ट कर देते हैं और पर्यावरण प्राधिकरण के लोग 6 से 12 महीने तक परेशान करते हैं और परमिशन नहीं देते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सिम्पल बात है, झोंपड़-पट्टी है तो वहां पॉल्युशन होता है, गंदगी फैलती है। झोंपड़-पट्टी को निकालकर भवन निर्माण होता है तो पर्यावरण में बहुत लाभ होगा। इसके बावजूद भी पर्यावरण प्राधिकरण के अधिकारी उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर परेशान करते है और फाइन करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में दो-तीन बार टिप्पणी की है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर मैं खुलकर कहूं तो ब्लैकमेलिंग की जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है। यहां ब्यूरोक्रेसी की बहुत धांधली मची हुई है। भगवान ने अच्छा किया है कि वहां सरकार बदल गई।

मेरी आवाज आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगी तो झोंपड़-पट्टी वासियों के लिए भवन निर्माण मददगार साबित होगी। उन्हें अच्छा घर मिलेगा, सरकार

को रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा और इन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ जाएगा। मैं एक मिनट और लूंगा, मैं कभी इस बात पर हैरान होता हूं कि हम सबने जो व्यवस्था बनाई है, वह लोगों की मदद करने के लिए है या परेशान करने के लिए है? इसका कहीं न कहीं ऑडिट होना चाहिए। इस प्रकार की धांधली मचाने वाले अधिकारियों को लाइमलाइट में, पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इसकी भी एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। मुम्बई में ...* करके एक अधिकारी हैं, कुछ लोगों का उनके बारे में कहना है कि अच्छे हैं और कुछ लोग कहते हैं बुरे हैं। मुझे पता नहीं है। मुम्बई में एसआरए डेवलपमेंट के लिए भी दो लाख स्कवेयर फीट का नियम बना दें, सीईओ एसआरए परमिशन दे। दो लाख से चार लाख स्कवेयर फीट का नियम बना दें, सीईओ एसआरए डायरेक्ट परमिशन दे देगा। प्राधिकरण के लोगों को नियम बनाना चाहिए, फाइल टू फाइल इनके पास नहीं भेजना चाहिए। ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। मैं आपके माध्यम से इस आवाज को महाराष्ट्र और मुम्बई तक पहुंचाने की विनती करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति: श्री बसंत कुमार पंडा – उपस्थित नहीं।